महिलाएं और कानूनी मदद

सुहास कुमार

अदालतों के गलियारे लंबे, भटकावदार और अड़चनों से भरे हैं। आम पुरुष भी जब कानून का दरवाजा खटखटाता है तो उसे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। औरत के लिए तो दिक्कतें कई गुना बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि महिलाएं अक्सर कानून की मदद नहीं ले पातीं।

थाने में दिक्कतें

सबसे पहली दिक्कत तब आती है जब वे थाने में प्रथम सूचना रपट लिखाने जाती हैं। अगर पति या ससुराल वालों द्वारा मारपीट की शिकायत दर्ज कराने जाती हैं तो अव्वल तो रपट लिखी ही नहीं जाती। कहा जाता है—"हर घर में यह थोड़ा बहुत तो होता है। यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिसकी रपट लिखाई जाए।" अनपढ़ महिलाओं से कहा जाता है—"आप जाओ हम कार्यवाही करेंगे।"

महिला संस्थाओं की विशेष मांग से धारा 498-ए बनी। लेकिन इससे कुछ खास मदद महिलाओं को नहीं मिली। इसके तहत् जब औरत थाने में रपट लिखाने जाती है तो उससे कहा जाता है—"अगर अपने पति के खिलाफ़ रपट लिखाओगी तो खाओगी क्या? आप रपट मत लिखवाओ।" अगर लिख भी ली जाती है तो उसे महीनों थाने के धक्के खाने पड़ते हैं। कभी-कभी तो सारा दिन थाने में बिठाए रखते हैं। कामकाजी महिला इतनी छुट्टियां ले नहीं सकती। हारकर उसे अपना केस वापस लेना पड़ता है।

इसके अलावा थाने में रपट लिखाने जाने वाली महिलाओं के साथ बदतमीजी, शील-भंग और बलात्कार तक के मामले सामने आए हैं।

कई बार पुलिस वालों की खुद की जानकारी अधूरी रहने की वजह से वह गलत सलाह देते हैं। दिल्ली पुलिस की विशेष दहेज विरोधी सेल की प्रमुख उपायुक्त कंवलजीत देओल के शब्दों में—"किसी भी नए क़ानून के बारे में पुलिस वालों को जानकारी मिलने में आराम से दो साल तक लग जाते हैं।"

धारा—498-ए

इस धारा के अनुसार पति या ससुराल वालों द्वारा सताए जाने पर औरत, उसका कोई रिश्तेदार या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समाजसेवी संगठन उनके खिलाफ़ रपट दर्ज करा सकता है। अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। इस जुर्म की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 3 साल है। अपराधी की जमानत थाने पर नहीं हो सकती। इसकी जमानत सिर्फ़ कोर्ट में ही हो सकती है।

- *पति या ससुराल वालों के ताने और मारपीट से उसे शारीरिक या मानसिक चोट पहुंचती है, या वह इन कारणों से आत्महत्या कर लेती है।*

• यदि पति के रिश्तेदार उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करते हैं जैसे, दहेज को लेकर ताने मारना, सताना...

यह धारा 1983 दिसंबर से क़ानून की किताब में आ गई है। अभी इसका ज़्यादा प्रसार एवं प्रचार नहीं हुआ है। धीरे-धीरे लोगों की इसके बारे में जानकारी बढ़ रही है। दिल्ली में जनवरी से अप्रैल '92 तक 68 केस दर्ज हुए। यह संख्या काफ़ी गंभीर है। क्योंकि बमुश्किल तीन में से एक केस दर्ज किया जाता है।

सुश्री कंवलजीत का कहना है—"यह कानून परिवार से संबंधित है। इसलिए हम शुरू में कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। अक्सर औरतें गुस्से में हमारे पास पति या ससुरालवालों के खिलाफ़ शिकायत लेकर आती हैं। जैसे ही हम किसी को गिरफ्तार करते हैं वही औरत उनकी जमानत के लिए भाग-दौड़ करने लगती है। इसलिए हम औरतों को वक्त देते हैं। आस-पड़ोस में पूछताछ करते हैं।"

"ज़्यादातर मामलों में पुलिस को घर आया देखकर ही ससुरालवाले सीधे हो जाते हैं और बहू के साथ समझौता कर लेते हैं।"

—सुधा तिवारी, शक्तिशालिनी

एक पुलिस सुपरिटेंडेंट ने बताया कि पुलिस ट्रेनिंग के दौरान फ़ौजदारी क़ानून की जानकारी पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है और दीवानी क़ानून पर कम। महिलाओं संबंधी सभी मामलों को घरेलू क़रार देकर उन पर खास ध्यान नहीं दिया जाता है।

कोई भी औरत दिल्ली के थानों में अपनी परेशानी लेकर जाती है उसे अमूमन जवाब मिलता है—"विमेन सैल (औरतों का विशेष थाना) में जाकर शिकायत लिखवाइए।" वह तो रपट दर्ज ही नहीं करना चाहते हैं। अगर रपट दर्ज कर भी ली जाए तो खोजबीन के लिए वह समय पर नहीं पहुंचते हैं।

शक्तिशालिनी संस्था के पास एक लड़की 'किस्मती' का मामला आया। उसके पति ने दूसरी शादी कर ली और उसे खूब मारता-पीटता। जब वह थाने में रपट के लिए गई तो रपट नहीं लिखी गई। बहुत सताई जाने पर वह 10-15 दिन शक्तिशालिनी के आश्रय घर में रहती, फिर पति के पास वापस चली जाती। उसका अंधविश्वास था कि पति के घर मरेगी तो स्वर्ग मिलेगा। जल्दी ही उसे स्वर्ग मिल गया। उसके पति ने ही उसको मार डाला। शक्तिशालिनी ने उसका दाह-संस्कार किया। क्या पुलिस का ग़लत रवैया भी उसकी मौत का जिम्मेदार नहीं?

दहेज के मामलों में पुलिस वाले सीधे दहेज अपराध शाखा का रास्ता दिखा देते हैं। दहेज अपराध शाखा में शिकायत दर्ज की जाती है, प्रथम सूचना रपट नहीं ली जाती। क्या थानों में उनके लिए कोई मदद नहीं रह गई है?

बलात्कार के मामले में रपट लिखाने जाने पर महिला को अजीब सवालों का सामना करना

पड़ता है। पुलिस पूछती है—"आप बलात्कारी से इतनी हाथापाई क्यों कर रही थीं जबकि आपको मालूम था कि आप अपना बचाव नहीं कर सकतीं?" दूसरी ओर अदालत में उससे पूछा जाता है—"अगर आपने अपने बचाव के लिए हल्ला या हाथापाई नहीं कि तो इसका मतलब है जो भी हुआ आपकी मर्ज़ी से हुआ।"

बलात्कार की शिकार महिला के खून से रंगे कपड़ों को थाने में ऐसे लहराया जाता है जैसे कि झंडा फहराया जा रहा हो। उससे पूछा जाता है—"कैसे बलात्कार हुआ?" बजाए उसके साथ सहानुभूति दिखाने के, उसकी बेबसी और लाचारी को मनोरंजन का साधन बनाया जाता है। बलात्कारी से ज़्यादा औरत के चरित्र की जांच-पड़ताल की जाती है। औरत से पूछा जाता है—"तुमने ऐसा क्या किया था जो तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ। ज़रूर तुमने पुरुषों को रिझाने वाले कपड़े पहने होंगे।"

अदालत में दिक्कतें

अगर मामला थाने की दिक्कतें पार कर अदालत में पहुंचता है तो भी मुश्किलें हल नहीं हो जातीं। अदालत के चक्कर तो काटने ही पड़ते हैं। लोगों की प्रतिकूल नज़रों का सामना भी करना पड़ता है जिसमें अजूबा, अनादर, विरोध आदि भाव रहते हैं। औरत ने हिम्मत करके अन्याय के खिलाफ़ आवाज़ उठाई है यह कोई नहीं सोचता। उसमें सहनशीलता आदि गुणों की कमी मानकर असम्मान पूर्वक दृष्टि से देखा जाता है। उसके चरित्र को शक़ की निगाहों से देखा जाता है। उस पर उंगलियां उठाई जाती हैं और कीचड़ उछाली जाती है।

अक्सर बेकार के अपमानजनक सवाल पूछे जाते हैं। मेडिकल रिपोर्ट, चेहरे व हाथों पर चोटों के निशान, खून से रंगे कपड़ों आदि सबूतों के होते हुए भी अदालत का रुख सहानुभूतिपूर्ण नहीं होता।

दहेज के मामले जब कोर्ट में जाते हैं तो यह साबित करना मुश्किल हो जाता है कि लड़की ज़ेवर लेकर घर से निकली थी या ससुराल में छोड़ आई थी। दहेज का सामान भी पूरा नहीं मिलता। जो मिलता है वह काफ़ी पुरानी बेकार की चीज़े होती हैं। वह नहीं जो उसे मायके से मिला था।

न्यायाधीश का नज़रिया

अक्सर महसूस होता है कि पुरुष न्यायाधीश महिलाओं का नज़रिया समझने की कोशिश नहीं करते और इसकी छाप उनके फैसले पर दिखाई देती है। कई मामलों में महिलाओं के साथ ज़्यादती होती दिखती है। अपराधी छूट जाते हैं। पिछले एक साल में दिल्ली कोर्ट में 21 दहेज के मामलों में सिर्फ़ 4 मामलों में अपराधियों को सज़ा दी गई।

हिम्मत नहीं हारनी

इन दिक्कतों के बावजूद हमें निराश नहीं होना है। कई शहरों में थानों पर महिला पुलिस हैं और महिला पुलिस थाने भी खुले हैं। इन थानों पर आने वाली दिक्कतें कुछ कम होंगी। इसी तरह ज़्यादा महिला वकील, सरकारी महिला-वकील, महिला पुलिस अफ़सर और महिला न्यायाधीश बढ़ने से कुछ दिक्कतें तो आसान होंगी।

थाने पर औरत अकेले न जाए। साथ में पुरुष साथी या महिला संगठन अथवा सामाजिक संगठन के सदस्य होने से स्थिति काफ़ी बेहतर रहती है।

अब पुलिस ट्रेनिंग में भी बदलाव आ रहा है। महिला संगठनों की मांग पर उनको महिला कार्यकर्ताओं से बातचीत का मौका भी दिया जाता है। इससे उनके नज़रिये में बदलाव आने की काफी उम्मीद है।

कानून के हाथ बहुत से नियमों से बंधे हैं। वह सबूत मांगता है। किसी भी मामले में कानून का दरवाजा खटखटाने से पहले अपने सबूतों को इकट्ठा कर लें। गवाह भी पक्के साथ में रखें। गवाही बदल देने वाले लोग नहीं होने चाहिए। सबसे ज़्यादा मजबूत सबूत लिखित सबूत हैं।

कुछ कानूनों में सुधार अदालत के फैसले के आधार पर भी हुआ है। मुकदमे के दौरान कानून की कमियां सामने आईं। कानून हमारी मदद के लिए ज़रूर है, मगर हमें अपनी ओर से भी काफी कोशिश करनी पड़ती है। कहावत है भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं।

क्या नौकरीपेशा पत्नी यह दावा कर सकती है कि वह जहां चाहे रहे?

पत्नी को इस प्रकार का अधिकार है। एक मामले में पति और पत्नी अलग-अलग जगहों पर नौकरी करते थे। पत्नी ने शादी के बाद भी नौकरी नहीं छोड़ी। पति ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत् यह याचिका दायर की कि पत्नी को आकर साथ में रहना चाहिए। पत्नी ने नौकरी के कारण इससे इंकार कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पति की याचिका रद्द कर दी और फैसला दिया कि हिंदू क़ानून में ऐसा कोई आदेश नहीं है कि हिंदू पत्नी को शादी के बाद घर चुनने की आज़ादी नहीं है।

गर्भपात संबंधी कानून

अप्रैल 1972 से लागू गर्भपात कानून (एम.टी.पी. एक्ट) के तहत् हर बालिग महिला गर्भ ठहरने के 12 हफ्तों में गर्भपात करा सकती है। लेकिन नीचे लिखे हालात में ही गर्भपात वैध माना जाएगा। यह हालात हैं—

1. गर्भवती महिला का जीवन खतरे में हो।
2. गर्भावस्था जारी रखने से गर्भवती का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा हो।
3. गर्भ बलात्कार से ठहरा हो।
4. बच्चे के विकलांग पैदा होने का डर हो।
5. गर्भ किसी गर्भ-निरोधक के काम न करने से ठहरा हो।
6. यह डर हो कि गर्भावस्था के जारी रहने से आगे चलकर स्त्री का स्वास्थ्य खराब होगा।

गर्भपात करवाने के लिए पति की मंजूरी ज़रूरी नहीं। अगर लड़की 18 साल से कम है तो अभिभावकों की मंजूरी लेनी पड़ती है।

अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि ज़रूरी हो तो 20 हफ्ते तक भी गर्भपात करवाया जा सकता है। हालांकि 12 हफ्ते से ज़्यादा की हालत में कम से कम दो डाक्टरों की सहमति ज़रूरी है।